न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/3206/2004/अलवर

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बानसूर जिला अलवर।

------ अपीलांट

बनाम

1- रूडमल पुत्र महादेवा
2- हरिराम पुत्र महादेवा, जाति अहीर निवासीगण रतनपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर।

------ रेस्पो0

खण्ड पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अति. राजकीय अभिभाषक अपीलांट।
(2) अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक :- 29.10.2024**

यह अपील धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विद्वान भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर अपील संख्या 89/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30-10-2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/अप्रार्थीगण ने विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, बानसूर के समक्ष एक दावा इस्तकरार हक व हुक्म इम्तनाई दवामी वाद में अंकित वादग्रस्त आराजी का प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि वादीगण को खसरा नं0 160 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। वादपत्र प्रस्तुत होने पर उसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण/पैरोकार सरकार को तलब किया गया जिन्होने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर दावा वादीगण खारिज करने का

अपील/डिक्री/टीए/3206/2004/अलवर
सरकार बनाम रूडमल

निवेदन किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में आवश्यक तनकीयात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन करते हुए उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने अपने निर्णय दिनांक 19-09-2001 से वादी का वादपत्र खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 19-09-2001 के विरूद्ध अपीलांट ने विद्वान अपीलीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30-10-2003 से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 19-09-2001 निरस्त कर वादीगण/अपीलांट का वाद आराजी खसरा नंबर हाल 160 वाके ग्राम मूण्डली तहसील बानसूर जिला अलवर में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर वादीगण/अपीलांट को समभाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि पर से सिवायचक गैर मु0 नला की प्रवष्ठि को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण/अपीलांट का नाम समभाग खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 30-10-2003 से व्यथित होकर अपीलांट/प्रार्थी की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- हमने अपील पर योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4- अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विद्वान अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि खसरा नं0 160 रकबा 1.10 बीघा भूमि गै0मु0 नाला है। इस कारण धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नाले की भूमि जिसमें से पानी का प्रवाह होता है, पर कोई खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने सिवायचक भूमि पर अधिकार देना न्यायोचित नहीं मानते हुए दावा खारिज किया है। वक्त दावा दायरी वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवायचक भूमि थी तथा उक्त भूमि पर वादी/रेस्पो0 का कोई कब्जा काश्त नहीं था ना ही कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है। बन्दोबस्त विभाग के द्वारा

अपील/डिक्री/टीए/3206/2004/अलवर
सरकार बनाम रूडमल

खसरा नं0 160 की भूमि पर मौके की स्थिति एवं पूर्व अभिलेख के अनुसार गै0मु0 नाला सही दर्ज किया था तथा आज भी मौके पर नाला है। बन्दोबस्त विभाग ने जो इन्द्राज किये है वे विधिवत् है किन्तु विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा उसे सही नहीं मानकर एवं बन्दोबस्त विभाग को इन्द्राज बदलने का अधिकारी नहीं मानकर आलौच्य निर्णय पारित किया है। वह निरस्तनीय है। साथ ही अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा की जाकर अपील की सुनवाई गुणावगुण पर किये जाने का निवेदन किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अपीलीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय व डिक्री दिनांक 30-10-2003 को निरस्त किया जाकर विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, बानसूर के निर्णय व डिक्री दिनांक 19-09-2001 को बहाल रखने का अनुरोध किया।

5- सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित कारण संतोषजनक एवं समुचित होने से निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करके प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

7- इसके उपरान्त हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट/प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं आलौच्य आदेशों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

10- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, बानसूर जिला अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 19-09-2001 द्वारा वादीगण का वाद खारिज किया।

11- विद्वान अपीलीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 30-10-2003 द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार कर तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19-09-2001 निरस्त कर अपीलांटान/वादीगण का वाद डिक्री किया।

12- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, बानसूर ने अपने निर्णय में तनकी वार विवेचन किया है। अपने निर्णय में अंकित किया है कि तनकी नं0 1 को

सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने इस तनकी के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है केवल सम्वत् 2015 की जमाबन्दी प्रस्तुत की है। इसलिए इस तनकी को वादीगण द्वारा दस्तावेजात से सिद्ध नहीं किया है केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण को किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नं0 2 को सिद्ध करने हेतु ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की जिससे यह सिद्ध हो कि वादीगण ने कभी दखल पहुंचाया हो तो ही प्रतिवादीगण ने कभी नोटिस ही वादीगण को इस बाबत् दिया है। इसलिए तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नं0 3 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पक्ष पर था। इस समय वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज है जो नकल जमाबन्दी सम्वत् 2021 व 2050 से साबित है। इसलिए यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं0 4 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था, चूंकि प्रतिवादीगण के पक्ष में तनकी नं0 3 निस्तारित की जा चुकी है। इसलिए यह तनकी भी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नं0 5 के संबंध में किसी भी पक्ष ने कुछ भी नहीं कहा, वैसे भी वादीगण के विरूद्ध तनकी नं0 1 व 2 का निस्तारण किया जा चुका है। इसलिए इस तनकी पर किसी भी प्रकार का निर्णय दिया जाना संभव नहीं है।

अतः सिवायचक भूमि के संबंध में वादीगण को खातेदारी अधिकार देना यह न्यायालय उचित नहीं समझते हुए वादीगण का वादपत्र बाबत् आराजी खसरा नंबर 160 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम मूण्डली तहसील बानसूर खारिज किया जाता है।

13- विद्वान अपीलीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि जमाबन्दी सम्वत् 2015-2018 में खसरा नंबर साबिक 305 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा का खातेदार ओमप्रकाश को दर्ज किया हुआ है तथा बकाश्त महादेवा पुत्र श्योकरण उपकृषक 5 साल की दर्ज की हुई है। जमाबन्दी सम्वत 2016-18 में खसरा नम्बर साबिक 305 रकबा 5

अपील/डिक्री/टीए/3206/2004/अलवर
सरकार बनाम रूडमल

बीघा 4 बिस्वा में खातेदार महादेवा पुत्र श्योकरण अहीर को दर्शाया हुआ है। जमाबन्दी सम्वत् 2050 एवं खसरा गिरदावरी सम्वत् 2050-53 में खसरा नम्बर 125/2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा का खातेदार कृषक रूडमल, हरिराम पुत्रान महादेवा अहीर को दर्ज किया हुआ है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2027 ग्राम मूण्डली के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 305 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा हाल नम्बर 125 रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा में शामिल किया गया है तथा हाल खसरा नम्बर 160 रकबा 4 बीघा एक बिस्वा गैर मुमकिन नला में साबिक खसरा नम्बर 305 मिन का एक बीघा 10 बिस्वा रकबा 304 का 2 बीघा एक बिस्वा रकबा तथा 303 का 10 बिस्वा रकबा शामिल किया गया है। अपीलान्ट/वादी ने अपने बयानों में बताया है कि हाल खसरा नम्बर 160 रकबा 4 बीघा एक बिस्वा में उसकी कब्जा काश्त की भूमि भू-प्रबन्ध विभाग ने गलत तौर पर शामिल कर दी गई पूर्व में उक्त भूमि पर उनके पिता की कब्जा काश्त थी और अब उनकी कब्जा काश्त है तथा भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा शामिल की गई भूमि की किस्म गैर कानूनी रूप से सिवायचक दर्ज कर दी गई है। मौके पर भूमि नला नहीं है। उस पर कब्जा काश्त उनके द्वारा की जा रही है। गवाह भौरे लाल ने भी इसी प्रकार बयान दर्ज करवाये हैं। विद्वान तहत न्यायालय द्वारा विवादित आराजी की मौके की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये तहसीलदार बानसूर को कमिश्नर नियुक्त किया गया था। कमिश्नर ने अपने रिपोर्ट दिनांक 06-07-2001 द्वारा अवगत कराया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 160 जमाबन्दी सम्वत् 2054-57 में सिवायचक दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 160 में से मौके पर 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर अपीलान्टान/वादीगण रूडमल, हरिराम पि. महादेवा की कब्जा काश्त है। सम्वत् 2058 में खरीफ की फसल बाजरा की बोई हुई है। शेष रकबा मौके पर नला के काम में आ रहा है। अपीलान्टान/वादीगण खसरा नम्बर 125/2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा के खातेदार हैं और इस खेत के पास ही खासरा नम्बर 160 में से 2 बीघा 2 बिस्वा जोत रखी है, जो उनके खेत खसरा नम्बर 125/2 से बिल्कुल सटा हुआ है। उपरोक्त विवेचन से यह जाहिर हो रहा है कि साबिक खसरा नम्बर 305 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा महादेवा पुत्र श्योकरण की कब्जा काश्त खातेदारी का रकबा था जिसमें से 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि

अपील/डिक्री/टीए/3206/2004/अलवर
सरकार बनाम रूडमल

हाल खसरा नम्बर 125/2 में शामिल कर रूडमल, हरिराम पुत्रान महादेवा को खातेदारी प्राप्त हो गई। शेष रकबा हाल खसरा नम्बर 160 में शामिल किया जाकर उसकी किस्म सिवायचक गैर मुमकिन नला दर्ज कर दिया गया। भू-प्रबन्ध विभाग को ऐसा करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। भू-प्रबन्ध विभाग को पुरानी प्रविष्टियों को रिपीट करना चाहिये था। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा खिलाफ कब्जा काश्त और मौका एवं कानून कार्य किया गया है। नायब तहसीलदार बानसूर की रिपोर्ट से भी यह जाहिर हो रहा है कि हाल खसरा नम्बर 160 में से 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर अपीलान्टान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 160 में अपीलान्टान की भूमि गैर कानूनी रूप से शामिल की गई है। उस पर वादीगण/अपीलान्टान खातेदारी की घोषणा करवाने के हकदार है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उनके विरूद्ध चल रही प्रविष्टियों को कलमजन करवाने के भी अधिकारी हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय एवं डिकी दिनांक 19-09-2001 कानून सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य प्रतीत होते हैं तथा अपील अपीलान्टान स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 19-09-2001 निरस्त कर वादीगण/अपीलांट का वाद आराजी खसरा नंबर हाल 160 वाके ग्राम मूण्डली तहसील बानसूर जिला अलवर में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर वादीगण/अपीलांट को समभाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

14- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान न्यायायल सहायक कलक्टर, बानसूर की पत्रावली में संलग्न ई.एक्स.पी-2 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 2018 में खसरा नं0 305 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा पर महादेवा पुत्र श्योकरण कौम अहीर उपकृषक दर्ज है। ई. एक्स.पी-3 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2016 से 2019 में खसरा नं0 305 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा महादेवा पुत्र श्योकरण अहीर सा0दे0 खातेदार दर्ज है। ई.एक्स.पी-5 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2050 में खसरा नं0 125/2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा पर रूडमल, हरिराम पुत्र महादेवा अहीर खातेदार दर्ज है। ई.एक्स.पी-6 नकल भू-प्रबन्ध विभाग फार्म सं0

अपील/डिक्री/टीए/3206/2004/अलवर
सरकार बनाम रूडमल

7 सम्वत् 2021 में खसरा नं0 125 कुल किता 4 रकबा 41 बीघा 13 बिस्वा मामराज व औंकार व शोसहाय व सूरज अहीर के नाम दर्ज है। खसरा नं0 160 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा सिवायचक दर्ज है। ई. एक्स.पी-1 नकल मिलान क्षेत्रफल भू-प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2021 में हाल खसरा नं0 125 रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा के खसरा नं0 14 मिन रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, 179 मिन रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 305 मिन रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, 306 मिन रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा तथा 314 मिन रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा बनाए गए है। हाल खसरा नं0 160 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, साबिक खसरा नं0 303 रकबा 10 बिस्वा, 304 मिन रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा तथा 305 मिन रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा से बनाए गए है। नायब तहसीलदार, बानसूर के पत्र दिनांक 06-07-2001 के संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 30-06-2001 के अनुसार मौका आराजी खसरा नं0 160 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा गै0मु0 नला का मौका निरीक्षण किया गया। मुताबिक रिकॉर्ड पटवारी व मौके के ग्राम मूण्डली के आराजी खसरा नं0 160 जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 खसरा नं0 1 में सिवायचक दर्ज है। उक्त खसरा नं0 160 में से मौके पर 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर वादी रूडमल, हरिराम पि0 महादेवा अहीर निवासी रतनपुरा का कब्जा है व फसल खरीफ सम्वत् 2058 में बाजरा की फसल बोई हुई है। शेष रकबा मौके पर नाले के काम में आ रहा है। वादी खसरा नं0 125/2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 160 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा के जोते गए रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा से सटा हुआ है तथा काश्त की हुई है।

जिससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान प्रत्यर्थीगण द्वारा सिवायचक खसरा नं0 160 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा के रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा पर कब्जा कर काश्त की जा रही है। सिवायचक खसरा नं0 160 का शेष रकबा मौके पर नाले के काम में आ रहा है।

15- वर्तमान प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा दावा इस्तकरार हक व हुक्म इम्तनाई दवामी पेश कर अनुतोष चाहा है कि वादीगण साबिक खसरा नं0 305 के रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा जिसकी भूमि हाल खसरा नं0 160 में 1 बीघा 10 बिस्वा दौराने बन्दोबस्त हाल शामिल की गई है

अपील/डिक्री/टीए/3206/2004/अलवर
सरकार बनाम रूडमल

जो वाके ग्राम मूण्डली तहसील बानसूर जिला अलवर में है। वादीगण समान भाग के खातेदार काश्तकार काबिज है। दौराने बन्दोबस्त हाल किये गये इन्द्राजात बाबत् आराजी मुतदाविया वादीगण के हकूकों के प्रति बातिल व बेअसर है, घोषणा फरमायी जावें। अर्थात् खसरा नं0 160 में 1 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी चाही है। नायब तहसीलदार, बानसूर की मौका रिपोर्ट दिनांक 30-06-2001 के अनुसार वर्तमान प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने खसरा नं0 160 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा में करीब 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर रखा है, अर्थात वाद में जो अनुतोष चाहा गया है उससे अधिक सिवायचक भूमि पर कब्जा कर रखा है। ई.एक्स.पी-1 नकल मिलान क्षेत्रफल से ज्ञात होता है कि साबिक खसरा नं0 305 मिन रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा का हाल खसरा नं0 125 में रकबा गया है। खसरा नं0 305 मिन 1 बीघा 10 बिस्वा का हाल खसरा नं0 160 में रकबा गया है। इन दोनों खसरा नम्बरान का रकबा मिलान करने पर खसरा नं0 305 का कुल रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा होता है जबकि जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 2018 में खसरा नं0 305 का रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा अंकित है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि खसरा नं0 305 का शेष रकबा 12 बिस्वा किस खसरा नंबर में गया है? विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया है कि खसरा नं0 160 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि की किस्म ईएक्सपी-6 नकल खतौनी भू-प्रबन्ध विभाग में गै0मु0 नाला दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित होकर ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं।

16- विद्वान अपीलीय न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड को उपरोक्त विवेचन के अनुसार देखें बिना निर्णय पारित किया है जो कि विधिसम्मत नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान न्यायालय सहायक कलक्टर, बानसूर द्वारा वर्तमान प्रत्यर्थीगण/वादीगण का वाद उचित रूप से खारिज किया गया है।

17- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30-10-2003 खारिज किया जाता है तथा

अपील/डिक्री/टीए/3206/2004/अलवर
सरकार बनाम रूडमल

विद्वान सहायक कलक्टर, बानसूर का निर्णय व डिक्री दिनांक 19-09-2001 बहाल रखी जाती है।

18- पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी) **(हेमन्त कुमार गेरा)**

सदस्य **अध्यक्ष**